तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
24.5.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प रणजीतपुरा में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने कैम्प में स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 औपचारिक पक्षकार होने से इनकी तलबी बन्द की जाती है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई जिन्होने मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने का कथन किया। हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है तथा पैतृक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है में से मुताबिक राजीनामा अपने हक हिस्सा की घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष हस्तगत वाद पत्र के जरिये वादी द्वारा चाहा है। वाद ग्रस्त आराजी वाद पत्र के चरण संख्या 3 अनुसार है। चक 1 बी पी एम खाता संख्या 87/80 जमाबंदी सवंत 2071–2074 कुल आराजी 3.847 है. चक 6 बीपीएम तहसील रावतसर खाता संख्या 53/47 ज.स.2071–2074 में दर्ज कुल आराजी 3.632 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात है उक्त आराजी पैतृक सम्पति है। इसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 1 बी पी एम खाता संख्या 7/11 संवत 2055 व खसरा गिरदावरी चक 6 बीपीएम से हो रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अब कोई विवाद नही है उन्होने स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने का कथन किया है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि वादी चक 1 बी पी एम तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 87/80 पत्थर नम्बर 194/389 (27) किला नम्बर 5, 6 तादादी 0.506 है. व चक 6 बी पी एम तहसील रावतसर के खाता संख्या 53/47 पत्थर नम्बर 203/396(7) किला नम्बर 10 व 11 तादादी 0.506 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का खाता तकसीम किया जावे। चक 1 बी पी एम तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 194/389 (27) किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1 व 4/1 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम तथा चक 6 बी पी एम तहसील रावतसर के पत्थर नम्बर 203/396(7) किला नम्बर 20/1, 21/1 प्रत्येक में 0.013 है. पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण व किला नम्बर 22/1, 23/1 प्रत्येक में 0.013 है. व किला नम्बर 24/1 पश्चिम दिशा की और उत्तर से दक्षिण किला नम्बर 25/1 में 0.013 उत्तरी दिशा की और पूर्व से पश्चिम चल रहे	

Gu

Scanned by CamScanner

रास्ते का गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व इसी अनुसार मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। उक्त निर्णय का राजीनामा जुज रहेगा। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर डिकी का अमल दरामद किया जावे। हक परित्याग मुंद्राक पंजीयन शुल्क वर वक्त इजराय शामिल मिसल किया जावे। खाता विभाजन स्टाम्प डयूटी पेश होने पर पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

स्हायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः-सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) रणजीतपुरा
पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

श्रवण कुमार बनाम हरचन्द आदि

दावा बाबत 88,53,188 आर.टी.ए., राजस्व वाद संख्याः- 138/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सहारण एडवोकेट अधिवक्ता वादीगण व योगेश झोरड़ एडवोकेट प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि वादी चक 1 बी.पी.एम. तहसील हनुमानगढ के खाता सं0 87/80 प0न0194/389 (27) किला न0 5, 6 तादादी 0.506 है0 व चक 6 बी.पी.एम. तहसील रावतसर के खाता सं0 53/47 प0न0 203/396 (7) किला न0 10 व 11 तादादी 0.506 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हैव इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी का खाता तकसीम किया जावे चक न0 1 बी.पी.एम. तहसील हनुमानगढ के प0न0 194/389 (27) किला न0 1/1, 2/1, 3/1, व 4/1 प्रत्येक मे 0.013 है0 उत्तर तरफ पूर्व से पश्चिम तथा चक न0 6 बी0पी0एम0 तहसील रावतसर के प0न0203/396 (7) किला न0 20/1, 21/1 प्रत्येक मे 0.013 है0 पुर्व की तरफ उत्तर से दक्षिण व किला न0 22/1, 23/1, प्रत्येक मे 0.013 है0 व किला न0 24/1, .025 है0 दक्षिण दिशा की ओर पूर्व से 24/1, पूर्व दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर किला नं0 25/1 मे 0.013 है0 उत्तर दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम चल रहे रास्ते का गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे व इसी अनुसार मुताविक राजीनामा राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

........X........लीज........X........मुबलिग........X........बातत........X....
........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह........X........से तारीख
वसुलयावी........X........

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 24-05-2018 से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

विवरण पक्षकार

श्रवण कुमार पुत्र श्री हरचंद जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

--वादी--

बनाम

1-हरचंद पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी चाईया तहसील राहतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

2-माना पुत्री हरचंद पत्नि श्री शिवनारायण जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

3-मोहना पुत्री हरचंद पत्नि श्री रजीराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

4-रोशनी पुत्री हरचंद पत्नि श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

5-तारादेवी पुत्री हरचंद पत्नि श्री रायसिंह जाति जाट निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

6-सुमन पुत्री हरचंद पत्नि श्री रजीराम जाति जाट निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

7-ओ.बी.सी. बैंक शाखा चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।

8-तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

9-तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner